

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 408 सन 2020

अनवान :-

1. रवि शर्मा पुत्र लालचन्द जाति ब्रह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र कुम्भाराम जाति ब्रह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. कपिल शर्मा पुत्र लालचन्द जाति ब्रह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. सुदेश शर्मा पुत्र जाति ब्रह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 141/124 की कुल 4.1230 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, व खाता संख्या 172/168 की कुल 34.1450 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 506/34145 हिस्सा व खाता संख्या 231/182 की कुल 10.3570 हैक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 2046/10357 हिस्सा व खाता संख्या 291/254 की कुल 25.5550 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 153/6472 हिस्सा व खाता संख्या 241/219 की कुल 8.1090 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1898/8109 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कुम्भाराम वल्द हरखाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कुम्भाराम वल्द हरखाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा कुम्भाराम वल्द हरखाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता कुम्भाराम वल्द हरखाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 141/124 की कुल 4.1230हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा , व खाता संख्या 172/168 की कुल 34.1450हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 506/34145हिस्सा व खाता संख्या 231/182 की कुल 10.3570हैक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 2046/10357 हिस्सा व खाता संख्या 291/254 की कुल 25.5550हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 153/6472हिस्सा व खाता संख्या 241/219 की कुल 8.1090हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1898/8109हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कुम्भाराम वल्द हरखाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कुम्भाराम वल्द हरखाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।


वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा कुम्भाराम वल्द हरखाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 141/124 की कुल 4.1230हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा , व खाता संख्या 172/168 की कुल 34.1450हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 506/34145हिस्सा व खाता संख्या 231/182 की कुल 10.3570हैक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 2046/10357 हिस्सा व खाता संख्या 291/254 की कुल 25.5550हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 153/6472हिस्सा व खाता संख्या 241/219 की कुल 8.1090हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1898/8109हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि कुम्भाराम वल्द हरखाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कुम्भाराम वल्द हरखाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा कुम्भाराम वल्द हरखाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा

 अधिवक्ता
नोहर

होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 141/124 की कुल 4.1230 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, व खाता संख्या 172/168 की कुल 34.1450 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 506/34145 हिस्सा व खाता संख्या 231/182 की कुल 10.3570 हैक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 2046/10357 हिस्सा व खाता संख्या 291/254 की कुल 25.5550 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 153/6472 हिस्सा भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 241/219 की कुल 8.1090 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1898/8109 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाक्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रवि शर्मा पुत्र लालचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादी

1. लालचन्द पुत्र कुम्भाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. कपिल शर्मा पुत्र लालचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. सुदेश शर्मा पुत्र जाति ब्रहाम्ण निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 408 सन 2020 निर्णय दिनांक-15/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 141/124 की कुल 4.1230हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, व खाता संख्या 172/168 की कुल 34.1450हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 506/34145हिस्सा व खाता संख्या 231/182 की कुल 10.3570हैक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 2046/10357 हिस्सा व खाता संख्या 291/254 की कुल 25.5550हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 153/6472हिस्सा भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 241/219 की कुल 8.1090हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1898/8109हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)